FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0085 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/05/2024 14:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 15/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:15 बजे **Time To (समय तक):** 12:52 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/05/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/05/2024 14:56:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PATWAR MANDAL BHOGADHIT, ARAI AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** SATYNARAYAN JAAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAJU JAAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHOTHO KA MOHALLA, GAGUNDA, ARAI AJMER, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHOTHO KA MOHALLA, GAGUNDA, ARAI AJMER, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9351201948

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SARDAR SINGH		पिता:GANESH LAL JAAT	1. BHERUJI MANDIR NEAR,GURJARO KI DHANI,TILONIYA,AJMER,AJMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें, श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै प्रार्थी सत्यनारायण जाट पुत्र श्री राजू जाट उम्र 24 वर्ष निवासी कोथो का मौहल्ला ग्राम गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर का रहने वाला हॅू। मेरे पिताजी श्री राजू दत्तक पुत्र आसू के नाम से ग्राम गागुन्दा मे खसरा नं0 580 मे स्वयं एवं उनकी माताजी श्रीमती नोसर पत्नि आसूराम के नाम से भूमि स्थित है। मेरी दादी श्रीमती नोसर की दिनांक 08.10.18 को मृत्यु हो चुकी है। श्रीमती नोसर के हिस्से की भूमि मेरे पिता राजू जाट के नाम दर्ज होनी है। इसके अलावा ग्राम गागुन्दा के खसरा संख्या 572,599,600 मे करीब 25 बीघा भूमि मेरे एवं मेरे छोटे भाई तेजपाल के हिस्से मे आयी हुई है। उक्त भूमि मे मेरे भाई तेजपाल के नाम नाबालिग दर्ज है जिसका बालिग नाम दर्ज होना है। इसके अलावा ग्राम गागुन्दा की खसरा संख्या 571 मे हम दोनो भाईयों के नाम 1/12 के स्थान पर 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज होकर शुद्धिकरण करवाया जाना है। मेरे पिता के नाम से विरासत का नामान्तकरण एवं मेरे छोटे भाई के बालिग दर्ज कर 571 की भूमि का शुद्धिकरण करवाये जाने हेतु मै मेरे गांव के हल्का पटवारी श्री सरदार सिंह से दिनांक 03.05.24 को मिला तो उन्होने मेरे वाजिब कार्य करने के बदले मे मेरे से 3,500 रू0 मांगे। मैने उनको कहा कि मेरे पास रूपये नहीं है, भूमि के कागजात, मृत्यु प्रमाण पत्र भी मैने आपको पहले ही दे दिये। अब रूपये किस बात के लेंगे तो पटवारी सरदार सिंह ने बिना रूपये दिये काम करने हेतु मना कर दिया। मै ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाना चाहता हॅू। कानूनी कार्यवाही करावे एसडी सत्यनारायण जाट पुत्र श्री राजू जाट निवासी गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर मोबाईल नं0 9351201948, 9462451948 । दरियाफ्त में उक्त लिखित प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी से किसी प्रकार का कोई उधार का लेन-देन बकाया नहीं है एवं किसी प्रकार की कोई रंजिष अथवा द्वेष भावना नही है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना अवगत कराया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ अपने व अपने पिता, दादी के नाम से ग्राम गागुन्दा के जमाबन्दी खाता संख्या नया 358 व पुराना खाता संख्या 353 की प्रति, गोदनामा की प्रति, नोसर पत्नि आसू का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी खेवट/खतोनी खाता संख्या नया 309 व पुराना खाता संख्या 313 भू0अभि0 निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत की प्रति, जमाबन्दी खेवट/खतोनी खाता संख्या नया 308 व पुराना खाता संख्या 312 की प्रति, परिवादी के भाई तेजपाल जाट के आधार कार्ड की प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर दिनांक 07.05.2024 समय 12.15 पी. एम. को परिवादी श्री सत्यनारायण जाट पुत्र श्री राजू जाट उम्र 24 वर्ष निवासी कोथो का मौहल्ला ग्राम गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर के नाम से सम्बोधित करते हुए मन् उप अधीक्षक पुलिस को कानूनी कार्यवाही करने हेतु उपरोक्त आशय की रिपोर्ट पेश की कि मेरे पिता श्री राजू दत्तक पुत्र आसू के नाम से ग्राम गागुन्दा मे खसरा नं0 580 मे स्वयं एवं उनकी माताजी श्रीमती नोसर पत्नि आसूराम के नाम से भूमि स्थित है। मेरी दादी श्रीमती नोसर की दिनांक 08.10.18 को मृत्यु हो चुकी है। श्रीमती नोसर के हिस्से की भूमि मेरे पिता राजू जाट के नाम दर्ज होनी है। इसके अलावा ग्राम गागुन्दा के खसरा संख्या 572,599,600 मे करीब 25 बीघा भूमि मेरे एवं मेरे छोटे भाई तेजपाल के हिस्से मे आयी हुई है। उक्त भूमि मे मेरे भाई तेजपाल के नाम नाबालिग दर्ज है जिसका बालिग नाम दर्ज होना है। इसके अलावा ग्राम गागुन्दा की खसरा संख्या 571 मे हम दोनो भाईयों के नाम 1/12 के स्थान पर 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज होकर शुद्धिकरण करवाया जाना है। मेरे पिता के नाम से विरासत का नामान्तकरण एवं मेरे छोटे भाई के बालिग दर्ज कर 571 की भूमि का शुद्धिकरण करवाये जाने हेतु मै मेरे गांव के हल्का पटवारी श्री सरदार सिंह से दिनांक 03.05.24 को मिला तो उन्होने मेरे वाजिब कार्य करने के बदले मे मेरे से 3,500 रू0 मांगे। मैने उनको कहा कि मेरे पास रूपये नहीं है, भूमि के कागजात, मृत्यु प्रमाण पत्र भी मैने आपको पहले ही दे दिये। अब रूपये किस बात के लेंगे तो पटवारी सरदार सिंह ने बिना रूपये दिये काम करने हेतु मना कर दिया। मै ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाना चाहता हॅू। कानूनी कार्यवाही करावे। दरियाफ्त में उक्त लिखित प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी से किसी प्रकार का कोई उधार का लेन-देन बकाया नहीं है एवं किसी प्रकार की कोई

रंजिष अथवा द्वेष भावना नही है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना अवगत कराया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ अपने व अपने पिता, दादी के नाम से ग्राम गागुन्दा के जमाबन्दी खाता संख्या नया 358 व पुराना खाता संख्या 353 की प्रति, गोदनामा की प्रति, नोसर पत्नि आसू का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी खेवट/खतोनी खाता संख्या नया 309 व पुराना खाता संख्या 313 भू0अभि0 निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत की प्रति, जमाबन्दी खेवट/खतोनी खाता संख्या नया 308 व पुराना खाता संख्या 312 की प्रति, परिवादी के भाई तेजपाल जाट के आधार कार्ड की प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित दस्तावेजों की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की, जो शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के आधार पर दरियाफ्त पर पूछताछ किये जाने से मामला पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध का घटित होने की सम्भावना होने से पीसी एक्ट के तहत प्रकियानुसार परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे मे अवगत कराया। कार्यालय का डिजीटल वाइस रेकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के कक्ष मे कार्यालय के श्री बुधराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस को तलब किया गया। परिवादी एवं बुधराज स0उ0नि0 का आपस मे परिचय कराया जाकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराये जाने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री सत्यनारायण जाट ने बताया कि आरोपी अपने मोबाईल फोन पर रिश्वत राशि के संबंध मे वार्ता नही कर आमने सामने ही वार्ता करेगा। मै आज ही ग्राम भोगादीत अराई जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध मे पटवारी सरदार सिंह से मिलकर मेरे कार्य व रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता कर रेकार्ड करवा सकता हॅू। चूंकि रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवष्यक है, अतः समय करीब 01.50 पीएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय एक मैमोरी कार्ड के परिवादी को डिजीटल वाइस रेकार्डर चालु व बंद करने की समझाईश कर वार्ता रेकार्ड करने हेतु समय करीब 02.10 पीएम पर परिवादी व श्री बुधराज सहायक उप निरीक्षक को ग्राम भोगादीत अराई के लिए आरोपी से सम्पर्क कर परिवादी के कार्य व रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध मे वार्ता दर्ज करने हेतु रवाना किया गया। समय करीब 05.55 पीएम पर श्री बुधराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस व परिवादी कार्यालय मे उपस्थित आए व डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए बुधराज स0उ0नि0 ने अवगत कराया कि मै व परिवादी कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 03.50 पीएम पर भोगादीत पटवार घर के पास पहुंचे। जहा परिवादी को मैने डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमारी कार्ड संधारण कर रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पटवार घर मे पटवारी से अपने कार्य व रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता करने हेतु आवश्यक समझाईश कर रवाना किया गया। समय करीब 04.10 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया व मुझे वाइस रेकार्डर सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मै समय करीब 03.50 पीएम पर रवाना होकर पटवार घर भोगादीत पर पहुचा जहा पटवारीजी मुझे नहीं दिखे जिस पर मैने उनके मोबाईल नं0 9571089177 पर मेरे मोबाईल नं0 9351201948 से दो बार वार्ता की तो उन्होने बताया कि मै पटवार घर मे ही मौजुद हॅू। जिस पर मै पटवारीजी से उनके पटवार घर कार्यालय पर मिला और मेरे कार्य व रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे आमने-सामने वार्ता की, जो आपके वायस रिकार्डर मे दर्ज है। परिवादी ने बताया कि पटवारीजी ने मेरे से 3,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए दौराने मांग सत्यापन ही मेरे से 1,000 रूपये प्राप्त करते हुए मेरे कार्य हो जाने के उपरान्त 2,000 रू0 और लेने की वार्ता हुई है। जिस पर मैने परिवादी द्वारा उपरोक्त बताये गये कथनो की ताईद हेतु वाइस रेकार्डर के मैमोरी कार्ड मे दर्ज आवाज को चालु कर सुना तो परिवादी द्वारा बताये अनुसार आरोपी पटवारी द्वारा 3,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 1,000 रूपये मौके पर ही मांग सत्यापन के समय प्राप्त करना एवं शेष 2,000 रूपये की रिश्वत राशि कार्य करने के उपरान्त दिये जाने की ताईद हुई। उक्त वार्ता मेरे द्वारा आप श्रीमान को समय करीब 04.25 पीएम पर जरिये दूरभाष अवगत करवाई गई। जिस पर आपके निर्देशानुसार मै व परिवादी भोगादीत से रवाना होकर कार्यालय आए। उपस्थित परिवादी एवं स0उ0नि0 द्वारा बताये गए कथनो की ताईद किए जाने हेतु परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को उपरोक्त तथ्यों का सही होना अवगत कराया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा बताए तथ्यों की ताईद की जाने हेतु कार्यालय के श्री बुधराज स0उ0नि0 द्वारा सुपुर्द किये गए वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो परिवादी से आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी पटवार हल्का गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर द्वारा श्री सत्यनारायण जाट के पिता के नाम से विरासत का नामान्तकरण एवं उसके छोटे भाई तेजपाल को बालिग दर्ज कर अन्य भूमि खसरा नम्बर 571 मे नाम का शुद्धिकरण करवाये जाने की एवज में 3,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए दौराने मांग सत्यापन के समय 1,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए शेष 2,000 रू0 की रिश्वत राशि काम होने के उपरान्त मांग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित है। तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पूर्ण ताईद होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को शेष रिश्वत राशि 2,000 रूपये की व्यवस्था कर पेश किए जाने हेतु कहा गया। परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी रूपये की व्यवस्था नहीं है। मै रूपये की व्यवस्था होने पर आपके समक्ष उपस्थित हो जाउंगा। अभी मेरे काम मे भी समय लगने की सम्भावना है। अतः मै जल्दी ही रूपये की व्यवस्था कर आपको अवगत करवा दूंगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समय 06.20

पीएम पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर उपस्थित आने एवं गोपनीयता बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाकर रूख्स्त किया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता के मैमोरी कार्ड को मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात मे रखा गया। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही एवं फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाएगी। कार्यालय स्टाफ को भी आवश्यक हिदायत प्रदान की गई। दिनांक 14.05.2024 समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री सत्यनारायण जाट उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपी पटवारी श्री सरदार सिंह ने मेरे परीचित ई-मित्र संचालक ग्राम गोगुन्दा के श्री हनुमान जाट के मार्फत मेरे पिताजी को समाचार भिजवाये कि सत्यनारायण को बताना कि मेरे से वार्ता करें। मैं सुबह करीब 08.30 एएम के आस-पास दूध बेचने के लिए गांव गया हुआ था, तब रास्ते मे मुझे हनुमान चैधरी मिला तो उसने मुझे कहा कि पटवारी सरदार सिंह से वार्ता कर लेना वो किसी काम के लिए तेरे से बात करना चाहता है। जिस पर मैने हनुमानजी को कहा कि मै घर पहुचकर पटवारीजी से बात कर लूंगा। मैने उक्त वार्ता किसी को नहीं बतायी। मै अभी आपके कार्यालय मे उपस्थित होकर उक्त वार्ता आपको बता रहा हॅू। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण जाट को आरोपी से वार्ता करने हेतु कहा गया तो उसने कहा कि मै अपने मोबाईल फोन से पटवारीजी से बात कर लूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाइस रेकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर रेकार्डर मे संधारण करवाकर समय करीब 02.00 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नं0 9351201948 से आरोपी पटवारी श्री सरदार सिंह के मोबाईल नं0 9571089177 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाइस रेकार्डर मे आपस मे हुई वार्ता को रेकार्ड किया गया। रेकार्ड वार्ता को सुनने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी ने परिवादी के खसरा नं0 571 मे शुद्धिकरण करवाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखकर पेश करने हेतु कहा है। दर्ज वार्ता के अनुसार परिवादी ने स्वतः ही बताया कि कल मेरे पास रिश्वत राशि 2,000 रू0 की व्यवस्था भी हो जाएगी तथा कल ही आरोपी को रिश्वत राशि देकर प्रार्थना पत्र भी उसके समक्ष पेश कर देंगे। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु दिनांक 07.05.2024 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करवाये जाने हेतु स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कोष कार्यालय अजमेर व जिला परिवहन अधिकारी अजमेर से एक-एक स्वतन्त्र गवाह तलब किये जाने हेतु कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहन व चालक श्री मनीष के रवाना किया गया। दिनांक 14.05.2024 समय 03.15 पीएम पर कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस मय श्री मनीष कुमार कानि0 चालक मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम (1) श्री अजय मोहन माथुर पुत्र स्व0 श्री ललित मोहन माथुर उम्र 56 वर्ष जाति कायस्थ निवासी मकान नं0 बी-3/18 पंचशील हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज जिला अजमेर हाल सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय कोषाधिकारी कोषालय अजमेर मोबाईल नं0 94147-51800 (2) श्री निर्भिक माथुर पुत्र स्व0 श्री जितेन्द्र माथुर जाति कायस्थ उम्र 30 वर्ष निवासी मकान नं0 ए-60, सावित्री सदन मानसरोवर कालोनी वैशाली नगर अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग अजमेर मोबाईल नं0 96601-01222 होना अवगत कराया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि किसी गोपनीय कार्यवाही में आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है। उपस्थित गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र मौतबिर बनने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराया। अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी हल्का गागुन्दा तहसील अंराई व परिवादी श्री सत्यनारायण जाट के मध्य दिनांक 07.05.24 को रिष्वत राषि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता के मुख्य-मुख्य अंषों को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी हल्का गागुन्दा तहसील अंराई द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण जाट की भूमि के नामान्तरण व शुद्धिकरण करवाने की एवज मे दौराने मांग सत्यापन दिनांक 07.05.24 को 3,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग करते हुए दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय 1,000 रू0 रिश्वत राशि प्राप्त करना व शेष 2,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की ताईद हुई। मैमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता एवं परिवादी से हुई दरियाफ्त के आधार पर उपस्थित गवाहान द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। समय 03.45 पीएम पर कार्यालय के श्री बुधराज स0उ0नि0 से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से आपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.05.24 की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शब्द-ब-शब्द तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल मैमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता की हेश-टेक वैल्यू निकाली जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 07.05.24 के मूल मैमोरी

कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडिया तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड दिनांक 07.05.24 को एक कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया गया तथा कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी जाकर शामिल पत्रावली की गई। आज दिनांक 14.05.24 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई दर्ज वार्ताओ के मूल मैमारी कार्ड को सुरक्षित मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास कार्यालय की आलमारी मे रखा गया। जो आईन्दा रिश्वत राशि लेन-देन के समय उपयोग मे लिया जाएगा। चूंकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 15.05.24 को परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आने पर की जानी है। अतः परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीयता रखने की आवश्यक हिदायत प्रदान कर प्रातः 09.30 एएम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूख्स्त किया गया एवं कार्यालय स्टाफ को उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 15.05.24 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री सत्यनारायण जाट व स्वतन्त्र गवाहान तथा कार्यालय के स्टाफ के उपस्थित कार्यालय आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय के श्री तुलछाराम हैड कानि0 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा फर्द प्रदर्शन की कार्यवाही हेतु फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर की शीशी मालखाने से निकालकर लाने हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 11.05 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री सत्यनारायण जाट को रिश्वत राशि पेष करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से निकाल कर पांच-पांच सौ रूपये के 4 नोट कुल राशि 2,000 रूपये की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट प्रस्तुत किए। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटो के दोनों ओर कार्यालय के श्री तुलछाराम हैड कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को समझाया। कार्यवाही की फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये। परिवादी श्री सत्यनारायण जाट को रिश्वत राशि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईषारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवश्यक हिदायत बरतने के निर्देश दिये गये तथा परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित कर वक्त लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को दर्ज करने हेतु आवश्यक समझाईश कर सुपुर्द किया गया। समय करीब 11.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री सत्यनारायण जाट, कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार स.उ.नि. व गवाह श्री अजय मोहन माथुर व श्री निर्भिक माथुर कार्यालय के सरकारी वाहन से तथा श्री बुधराज स.उ.नि., श्री लखन कानि0 नं0 420, श्री दामोदर कानि0, श्री अर्जुन कानि0, मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के प्राईवेट वाहनो से भोगादीत कस्बा अंराई किशनगढ जिला अजमेर के लिए रवाना हुआ। समय करीब 12.45 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान परिवादी व स्टाफ के कार्यालय से रवाना होकर भोगादीत पटवार मण्डल कार्यालय से थोडा पहले पहुच परिवादी को आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी से अपने कार्य व रिश्वत राशि देने हेतु कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित कर चालु किया जाकर पैदल-पैदल ही रवाना किया गया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री बुधराज स0उ0नि0 को अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान के परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पटवार मण्डल भोगादीत के आस-पास वाहनो मे मुकीम हुए। समय करीब 12.52 पीएम पर परिवादी श्री सत्यनारायण जाट ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पटवार मण्डल भोगादीत तहसील अंराई जिला अजमेर के मुख्य दरवाजे के बाहर आकर अपने मोबाईल फोन से वार्ता कर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री नरेन्द्र कुमार उ.नि., कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार स0उ0नि0, श्री बुधराज स0उ0नि0, श्री दामोदर कानि., श्री लखन कानि., श्री अर्जुनलाल कानि. व स्वतन्त्र गवाह श्री निर्भिक माथुर व श्री अजय मोहन माथुर के परिवादी श्री सत्यनारायण जाट के पास पटवार मण्डल भोगादीत के मुख्य दरवाजे पर पहुचे। जहा परिवादी श्री सत्यनारायण जाट ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय का डिजिटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड अपनी जेब से निकालकर प्रस्तुत किया। जिसको मेरे द्वारा बंद किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी श्री सत्यनारायण जाट ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मै आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारीजी को रिश्वत राशि देने हेतु उनके पटवार घर मे प्रवेश किया तो वह सामने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कार्य कर रहे थे। मेने उनसे अभिवादन किया, तो वार्ता करने के उपरान्त मेरे साथ-साथ ही अपनी कुर्सी से खडे होकर पटवार मण्डल के मुख्य दरवाजे के बाहर आ गए जहा उन्होने मेरे कार्य के बारे मे वार्ता करने के उपरान्त मेरे से 2,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब मे रख लिए तथा मेरे द्वारा मेरे खसरा नं0 571 की भूमि के नाम का शुद्धिकरण करवाये जाने का प्रार्थना पत्र दिये जाने पर कहा कि उक्त प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार अंराई के समक्ष पेश कर कमरा नं0 5 मे दे देना। जहा से आपका शुद्धिकरण का कार्य हो जाएगा तथा मूल प्रार्थना पत्र मुझे वापस लौटा दिया। उक्त वार्ता करने के उपरान्त मैने पटवार मण्डल के बाहर से ही आपको रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल फोन से किया तथा

पटवारीजी अपने पटवार मण्डल मे वापस चले गए। परिवादी द्वारा उक्त बताये गए कथनों की ताईद हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के परिवादी को साथ लेकर पटवार मण्डल भोगादीत के अन्दर प्रवेश किया। जहा परिवादी ने एक व्यक्ति जो सामने की कुर्सी पर बैठे हुए की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री सरदार सिंह पटवारीजी पटवार मण्डल गागुन्दा है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से मेरे कार्य करने के बदले मे 2,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब मे रखी है तथा मुझे मेरे शुद्धिकरण के कागज नायब तहसीलदार के समक्ष पेश करने हेतु देखकर वापस लौटा दिये है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान स्टाफ, गवाहान का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति घबरा गया व कुछ नहीं बोला। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को तसल्ली देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सरदार सिंह पुत्र श्री गणेशलाल जाट जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी भैरूजी के मन्दिर के पास गुर्जरो की ढाणी तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर हाल पटवारी पटवार मण्डल गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर होना बताते हुए अपने पटवार मण्डल गागुन्दा मे भवन नहीं बने होने की वजह से स्वयं को पटवार मण्डल भोगादीत पर बैठकर कार्य सम्पादन करना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी को परिवादी श्री सत्यनारायण जाट से 2,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त करने के सन्दर्भ में पूछताछ की गई तो वे कुछ नहीं बोले, घबरा गए, पुनः तसल्ली देकर रिश्वत राशि प्राप्ति बाबत पूछा तो आरोपी श्री सरदार सिंह ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि श्री सत्यनारायण जाट झूंठ बोल रहा है, मेने इससे किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इस पर उपस्थित परिवादी ने स्वत ही आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए बताया कि मै अभी थोडी देर पहले ही इनके पास आया था तो इन्होने मेरे कार्य के बारे मे बात करते हुए मेरे से 2,000 रू0 प्राप्त कर अपनी पहनी हुई बायीं जेब मे रखे है। उक्त 2,000 रू0 इन्होने मेरे पिता श्री राजू जाट के नाम से विरासत का नामान्तकरण एवं मेरे छोटे भाई तेजपाल को बालिग दर्ज कर मेरी अन्य भूमि खसरा नं0 571 मे नाम का शुद्धिकरण करवाये जाने की एवज में दिनांक 07.05.24 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय 3,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 1,000 रूपये की रिश्वत राशि उसी रोज मौके पर प्राप्त कर ली तथा शेष रिश्वत राशि 2,000 रू0 आज प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब मे रखी है। इस पर आरोपी श्री सरदार सिंह से रिश्वत राशि बाबत पुनः जानकारी चाही तो वह चुप रहा तथा कुछ नहीं बोला। थोडी देर बाद सोचकर बताया कि मेने तो इससे किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। इसने मुझे अभी अपनी ईच्छा से ही 2,000 रू0 दिये है, जो मेने प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब मे रखे है। इस पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए स्वत ही बताया कि मेने मेरी कोई ईच्छा से रिश्वत राशि नहीं दी है, मेने इनको करीब दो माह पूर्व ही मेरे कार्य से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज दे दिये थे। बार-बार मिलने के उपरान्त भी मेरा कार्य नहीं कर रहे थे तथा मेरे से रिश्वत की मांग की, जिसकी मेने मांग सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 07.05.24 को आपको करायी। रिश्वत राशि की ताईद किये जाने हेतु आरोपी श्री सरदार सिंह की जामा तलाशी उपस्थित स्वतन्त्र गवाह श्री निर्भिक माथुर से लिवायी गई तो आरोपी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब से 500-500 रू0 के नोट होना पाये गए। उक्त नोटो को गिनवाया जाने पर 500-500 रू0 के चार नोट होकर कुल 2,000 के नोट होना पाये गए। उक्त नोटो को गवाह श्री निर्भिक माथुर के पास सुरक्षित हालात मे सुपुर्द किये गए। इस प्रकार रिश्वत राशि प्राप्त करने की ताईद होने पर आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी पटवार मण्डल गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर के दाहिने व बाएं हाथों को पोचों के उपर से श्री बुधराज स0उ0नि0 व श्री दामोदर कानि0 से पकडवाये जाकर उसके कार्यालय कक्ष मे प्रवेश कर परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजों के सम्बन्ध मे आरोपी पटवारी से पूछताछ की तो उसने बताया कि ग्राम गागुन्दा की नामान्तरण रजिस्टर मेरे टेबल के उपर रखा हुआ है। इस पर स्वतन्त्र गवाह श्री निर्भिक माथुर से पटवार मण्डल भोगादीत का नामान्तरण रजिस्टर टेबल से उठाया जाकर सुरक्षित अपने पास रखा गया। मौके पर उक्त घटनास्थल मुख्य सडक पर स्थित होने से काफी भीड एकत्रित हो जाने एवं पटवार मण्डल मे लाईट की समुचित व्यवस्था भी नहीं होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु आरोपी श्री सरदार सिंह के दोनो हाथ पकडे-पकडे ही कार्यालय के सरकारी वाहन मे बैठाया जाकर पटवार मण्डल के ताला लगवाकर पुलिस थाना अंराई के लिए मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान व माल वजह सबूत के रवाना हुआ। समय करीब 1.17 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान व आरोपी श्री सरदार सिंह के पटवार मण्डल भोगादीत से रवाना होकर पुलिस थाना अंराई पर पहुचा। जहा श्री छोटूलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अंराई उपस्थित मिले। जिन्हे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहियान स्टाफ गवाहान, आरोपी व की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए अपना परीचय दिया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय मे कक्ष की व्यवस्था हेतु बताया गया, तो श्री छोटूलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने थाना परीसर मे स्थित कम्प्यूटर कक्ष मे बैठकर कार्यवाही करने की ईजाजत प्रदान की। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत प्रक्रियानुसार ट्रेप बाक्स में से दो प्लास्टिक के साफ पारदर्शी गिलास निकालकर थाना परीसर से साफ पानी लिया जाकर उक्त दोनो पारदर्शी गिलासों मे साफ पानी भरकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग-अलग गिलासो के घोल में श्री सरदार सिंह पटवारी के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर

धुलवाया गया। दाहिने हाथ के धोवण का रंग मटमैला झांईदार व बाए हाथ के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने उक्त धोवण को मटमैला झांईदार व गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमंशः मार्क आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को क्रमश मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी के पास मिली रिश्वत राशि जो गवाह श्री निर्भिक माथुर के पास सुरक्षित हालत मे रखी हुई है। उक्त नोटो को पूर्व मे बनायी फर्द पेशकशी नोट से दोनो गवाहान से मिलान कराया जाने पर 500-500 रू0 के चार नोट कुल 2,000 की राशि का मिलान कराया गया तो उक्त नोटो के नम्बर हूबहू होना गवाहान ने बताया। बरामदशुदा नोटो के नम्बर इस प्रकार है- 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 डी एफ 996764 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 एफ ए 908327 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एम टी 251585 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 ए क्यू 534749 उक्त नोटो को सफेद कपडे मे सीलकर सिल्डचिट कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री निर्भिक माथुर से लिवायी गई तो आरोपी के पहने हुए बुशर्ट की उपर की बायीं जेब मे एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का जिसमे मोबाईल नं0 9571089177 एयरटेल कम्पनी की सिम लगी होना पायी गई। आरोपी के पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी मे 1,115 रू0 तथा एक अमेरीकन डालर, ब्रेजा कार संख्या आरजे-42सीए-6685 की आरसी, ईसीएचएस कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, चालक लाइसेंस, एक ट्रेक्टर टेफे आरजे-21आरजी-2899 की आरसी, आधार कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड मिले। उक्त बरामदशुदा राशि के सम्बन्ध मे आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने उक्त राशि अपने खर्चे हेतु रखी होना बताया तथा उक्त दस्तावेज अपने स्वयं के होना बताते हुए अपने पास ही रखे हुए होना बताये। आरोपी को बाद पूछताछ पायी गई नगद राशि, दस्तावेज, दिये गए स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक मानते हुए पुन सुपुर्द किये गए। आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी के शरीर पर वक्त ट्रेप कार्यवाही पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब से रिश्वत राशि 2,000 रू0 बरामद हुई उक्त स्थान का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पहनने हेतु अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर सम्मानजनक पहनी हुई पेन्ट उतरवायी जाकर रासायनिक प्रक्रियानुसार एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास मे पुलिस थाना अंराई से स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित हाजरिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया जाने पर उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास मे आरोपी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब को उलटवाकर गिलास मे डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। उक्त प्राप्तशुदा मिश्रण को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा भरकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर सिल्डचिट कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त स्थान को सुखाया जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट बरंग कोका-कोला को एक सफेद कपडे की थैली मे सिल्डचिट कर पैकेट मार्क पी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी पटवारी श्री सरदार सिंह को परिवादी के कार्य के सम्बन्ध मे पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि परिवादी श्री सत्यनारायण जाट ने अपने भाई तेजपाल जाट के बालिग होने के सम्बन्ध मे उसके आधार कार्ड की प्रति, दसवीं कक्षा की मार्कशीट की प्रति दिनांक 03.05.24 को दी थी, उक्त दस्तावेजों के आधार पर उसकी जन्म दिनांक को देखकर मेरे द्वारा प्रक्रियानुसार श्री तेजपाल जाट के बालिग होने के दस्तावेज की जांच कर बाद जांच तहसील कार्यालय मे प्रेषित कर दिये गए है, जो लोग होने की वजह से तहसील कार्यालय स्तर पर ही लम्बित है। इसके अतिरिक्त परिवादी सत्यनारायण के पिता राजू जाट के हिस्से मे दर्शायी गई भूमि को सत्यनारायण एवं तेजपाल के नाम से दर्ज कर शुद्धिकरण कराया जाना था, जो जरिए ई-मित्र पर आवेदन करने के उपरान्त ही तहसील कार्यालय के मार्फत किये जाने है। इसके अतिरिक्त सत्यनारायण की दादी श्रीमती नोसर की फौत हो जाने पर फौतगी नामान्तरण श्री राजू जाट के नाम से दर्ज किया जाना है। उक्त नामान्तरण फौतगी के सम्बन्ध मे सत्यनारायण द्वारा स्टाम्प पेपर, मृत्यु प्रमाण पत्र, गोदनामे की प्रति मेरे को पूर्व मे करीब दो-तीन महिने पहले दी थी। जिनकी कार्यवाही मेरे द्वारा की जानी शेष है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के उक्त कार्यो के सम्बन्ध मे प्रेषित किये गए दस्तावेजों बाबत पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उक्त दस्तावेजात मेरे ग्राम गागुन्दा के नामान्तरण रजिस्टर मे रखे हुए है। इस पर पटवार मण्डल भोगादीत से लाये गए दस्तावेजों को आरोपी श्री सरदार सिंह को दिखाया गया तो उसने ग्राम गागुन्दा के नामान्तरण रजिस्टर मे से परिवादी से सम्बन्धित स्टाम्प पेपर, मृत्यु प्रमाण पत्र, नकल जमाबन्दी, गोदनामा की प्रतिया निकालकर प्रस्तुत किये। प्रस्तुतशुदा दस्तावेजात क्रम संख्या 1 से 09 तक पाये गए, उक्त दस्तावेजात की छाया प्रतियां करवा सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर क्रम संख्या 1 से 09 तक कब्जा एसीबी लिये गए तथा मूल दस्तावेजात उपस्थित श्री हरीराम को सुपुर्द किये गए। इसके अतिरिक्त परिवादी श्री सत्यनारायण जाट द्वारा अपने खाते के शुद्धिकरण से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो मूल ही सम्बन्धित श्री हरीराम को वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया तथा प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति प्राप्त कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गए। आरोपी के कार्यालय भोगादीत पटवार मण्डल की चाबी एवं साथ लिये गए दस्तावेज श्री विश्राम जाट पटवारी पटवार मण्डल भोगादीत तहसील अंराई

जिला अजमेर को सुपुर्द किये गए। परिवादी द्वारा वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय दिये गए वाइस रेकार्डर मे दर्ज आवाज व रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दिनांक 07.05.24 को दर्ज की गई वार्ता की अनुसंधान अधिकारी की सीडी मे दर्ज आवाज को गवाहान के समक्ष आरोपी को सुनायी गई तो आरोपी ने उक्त दर्ज आवाज मे एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज परिवादी श्री सत्यनारायण जाट की होना स्वीकार किया। बाद टे्प कार्यवाही सम्बन्धित घटना का नक्शा मौका, फर्द गिरफ्तारी तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए। आरोपी श्री सरदार सिंह के निवास स्थान भैरूजी के मन्दिर के पास गुर्जरो की ढाणी तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर स्थित निवास की खाना तलाशी श्री रूप सिंह उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, अजमेर के द्वारा ली जाकर प्रस्तुत की जाने पर शामिल कार्यवाही की जावेंगी। पटवार मण्डल भोगादीत से रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गिरफ्तारशुदा आरोपी व जब्तशुदा आर्टिकल के कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट अजमेर पहुचा जहा आरोपी व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व दिनांक 14.05.24 व वक्त लेन-देन दिनांक 15.05.24 के समय दर्ज वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से मैमोरी कार्ड का संधारण किया जाकर गवाहान व परिवादी के समक्ष फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व दिनांक 14.05.24 व वक्त लेन-देन दिनांक 15.05.24 की हूबहू फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। मूल मैमोरी कार्ड से कम्प्यूटर की सहायता से दो सीडी तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड मे दर्ज आवाज की हेस टेक वैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल मैमारी कार्ड को सफेद कपडे की थैली मे सिल्डचिट किया जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर माननीय न्यायालय हेतु तथा तैयारशुदा सीडी मे एक सीडी सफेद कपडे की थैली मे सिल्डचिट कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर सिल्डशुदा पैकेट कब्जे एसीबी लिये गए। शेष एक अन्य सीडी कागज के लिफाफे मे डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी जाकर शामिल पत्रावली रखी गई। तैयारशुदा माननीय न्यायालय एवं आरोपी की सीडी व प्रकरण से सम्बन्धित माल वजह सबूत मालखाना ईन्चार्ज श्री तुलछाराम हैड कानि0 को सुरक्षित हालत मे जमा कराये गए। उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सत्यनारायण जाट पुत्र श्री राजू जाट निवासी कोथो का मौहल्ला ग्राम गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर के पिता श्री राजू जाट के नाम से फौतगी विरासत का नामान्तकरण एवं उसके छोटे भाई तेजपाल को नाबालिग से बालिग दर्ज कर परिवादी की अन्य भूमि के खसरा नं0 571 मे नाम का शुद्धिकरण करवाये जाने की एवज में आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी पटवार मण्डल गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर द्वारा दिनांक 07.05.24 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय 3,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 1,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए मांग के अनुसरण मे अपने पद का दुरूपयोग कर अवैध पारीतोषण के रूप मे शेष 2,000 रू0 की रिश्वत राशि आज दिनांक 15.05.24 को प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है। वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी पटवार मण्डल गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर के बरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब से रिश्वत राशि 2,000 रू0 बरामद होने से आरोपी के दाहिने हाथ के धोवण का रंग मटमैला झांईदार, बाए हाथ के धोवण का रंग गुलाबी तथा पेन्ट की सामने की बांयी जेब के धोवण का प्राप्त मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री सरदार सिंह पटवारी पटवार मण्डल गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र.नि. ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (राकेश कुमार वर्मा) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा , पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सरदार सिह पुत्र श्री गणेश लाल निवासी भेरूजी के मन्दिर के पास गुर्जरो की ढाणी तिलोनिया, तहसील किशनगढ जिला हाल पटवारी,पटवार मण्डल गागुन्दा,तहसील अराई, जिला अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी तेजा राम पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 250 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 423-26 दिनांक 16.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2 जिला कलक्टर अजमेर । 3 उप-महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट अजमेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** TEJA RAM **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/05/2024 14:59:12

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/04/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)